रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072024-255395 CG-DL-E-13072024-255395

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

No. 3651

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 02/2024-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 396(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1)और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II में- 6%,-
 - (i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

4227 GI/2024 (1)

"121क	4819 10, 4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		(क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		(ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"180क	7310,7323,7612,	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";
	या 7615	

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"183क	7321 या 8516	सोलर कूकर";
-------	--------------	-------------

- (iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शाविकत्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची III में- 9%,-
 - (i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"153क	4819 (4819 10, 4819	सभी वस्तुएं
	20 को छोड़कर)	(कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		ख. गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को
		छोड़कर)";

- (ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा:
- (iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कुकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा"।

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 03 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.िन. 10 (अ), दिनांक 03 जनवरी, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 02/2024-Central Tax (Rate)

G.S.R. 396(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification. -

(A) in Schedule II -6%, -

(i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4819 10	, Cartons, boxes and cases of, –
	4819 20	(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board";

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A 7321 or 8516 Solar cookers";

- (iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;
- (B) in Schedule III -9%, -
- (i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819	All Goods
	10, 4819 20)	(other than Cartons, boxes and cases of, –
		(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board)";

- (ii) against serial number 224, after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be inserted;
- (iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, ", wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;
- (iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;" the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;
- (C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".
- 2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 01/2024 – Central Tax (Rate), dated the 3rd January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 10(E), dated the 3rd January, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 02/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 397(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II में- 12%,-

(i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"121क	4819 10, 4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		(क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		(ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"180क	7310,7323,7612,	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";
	या 7615	

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"183क 7321 या 8516	सोलर कूकर";
--------------------	-------------

- (iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शाविकत्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा:
- (ख) अनुसूची III में- 18%,-
 - (i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"153क	4819 (4819 10, 4819	सभी वस्तुएं
	20 को छोड़कर)	(कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		(क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा

(ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को
छोड़कर)";

- (ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2024-एकीकृत कर (दर), दिनांक 03 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.िन. 11(अ), दिनांक 03 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 02/2024-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 397(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in Schedule II -12%, -
- (i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4819 10,	Cartons, boxes and cases of, –
	4819 20	(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board";

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A 7321 or 8516	Solar cookers";	
--------------------	-----------------	--

- (iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;
- (B) in Schedule III -18%, -
- (i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819	All Goods
	10, 4819 20)	(other than Cartons, boxes and cases of, –
		(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board)";

- (ii) against serial number 224, after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be inserted;
- (iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, ", wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;
- (iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;", the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;

(C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 01/2024 – Integrated Tax (Rate), dated the 3rd January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 3rd January, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 02/2024-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 398(अ).— संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) अनुसूची II में- 6%,-
 - (i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"121क	4819 10, 4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		(क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		(ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"180क	7310,7323,7612,	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";
	या 7615	

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी. यथाः-

·		, ,	
	"183क	7321 या 8516	सोलर कूकर";

- (iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शाविकत्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ख) अनुसूची III में- 9%,-
 - (i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"153क	4819 (4819 10, 4819	सभी वस्तुएं
	20 को छोड़कर)	(कार्टन, बॉक्स और केस जो कि-
		क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा
		ख. गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को
		छोड़कर)";

- (ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर, किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी, वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान, जिनकी धारिता 300 लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं, किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा. यथाः-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोटः मूल अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 03 जनवरी, 2024 जिसे सा.का.िन.सं. 12(अ), दिनांक 03 जनवरी, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 02/2024-Union territory Tax (Rate)

G.S.R. 398(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in Schedule II -6%,
- (i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"121A	4819 10,	Cartons, boxes and cases of, –
	4819 20	(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board";

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium";

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A	7321 or 8516	Solar cookers";

- (iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;
- (B) in Schedule III -9%, -

(i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819	All Goods
	10, 4819 20)	(other than Cartons, boxes and cases of, –
		(a) corrugated paper or paper board; or
		(b) non-corrugated paper or paper board)";

- (ii) against serial number 224, after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel" shall be inserted;
- (iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, ", wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;
- (iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;
- (vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;" the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;
- (C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".
- 2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 01/2024 – Union territory Tax (Rate), dated the 3rd January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 12(E), dated the 3rd January, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 03/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 399(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसुचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जुन, 2017, जिसे सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जुन, 2017

के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.िन. 777 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 03/2024-Central Tax (Rate)

G.S.R. 399(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'."

2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU] NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2023-Central Tax (Rate) dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 777(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 03/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 400(अ).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.िन. 778 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 03/2024-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 400(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'."

2. This notification shall come into force from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 90354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 21/2023-Integrated Tax (Rate) dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 778(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 03/2024-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.िन. 401(अ).— संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

नितीश कर्नाटक. अवर सचिव

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2023- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.िन. 779(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 03/2024-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 401(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.711(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'."

2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2023-Union Territory Tax (Rate) dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 779(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 01/2024-प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.िन. 402(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पिठत माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पिठत माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, प्राधिकृत ग्राहक को किसी यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) के द्वारा शीर्ष 2202 में वर्गीकृत माल की आपूर्ति को माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के अंतर्गत उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण माल एवं सेवा कर प्रतिकर उपकर को छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण –

- (i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
- 2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/94/2024-टीआरय्]

नितीश कर्नाटक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 01/2024-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 402(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-section (1) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017) and sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (2) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts supply of goods falling under the heading 2202 by a Unit Run Canteen (URC) to authorised customers, from the whole of the Goods and Services Tax Compensation Cess leviable thereon under section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).

Explanation.-

- (1) In this Notification, "tariff item", "heading", "sub-heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
- 2. The notification shall come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

[F. No. 190354/94/2024-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.